न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22/09 **निर्णय दिनांकः 27.08.2018**

1. मु. जेठी पत्नि मोडसिंह जाति राजपूत निवासी मुकेरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. मु. रहला बानो पत्नि नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 9 एमएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07–03–2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 07–03–2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि वन विभाग में अवाप्त होने के कारण अदालत मातहत द्वारा चक 9 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 217/9 के किला नम्बर 12, 13, 17 ता 19 में 5 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 217/25 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 15 में 9 बीघा इस प्रकार कुल 14 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा मुरब्बा नम्बर 217/9 के किला नम्बर 14, 15, 16 की 3 बीघा भूमि का स्मालपेच में आवंटन किया गया। आवंटन दिनांक से ही वादगत् आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी पासबुक भी अपीलांट के नाम से बनी हुई है। उक्त भूमि का रेफरेन्स राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपीलांट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया दो माह में नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जावे। उक्त प्रकरण आज दिनांक तक अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समन बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 02—08—2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत होने पर यह अंकित किया गया कि केवल प्रार्थी का ही आवेदन पत्र है किसी अन्य व्यक्ति ने इस भूमि के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थी का आवेदन एकल है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है।

राजकीय अभिभाषक ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 1 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट के डबल आवंटन का प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष लम्बित चल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 9 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 217/9 के किला नम्बर 14, 15, 16 में 3 बीघा भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच अपीलांट को किया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजी जैर का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को इस आधार पर आवंटन किया गया कि आराजी जैर के आवंटन हेतु केवल प्रार्थी का आवेदन पत्र है अन्य किसी व्यक्ति का आवेदन इस भूमि के लिए नहीं है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 14 (1) के तहत प्रस्तावित भूमि चक 9 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 217/9 के किला नम्बर 12, 13, 17 ता 19 में 5 बीघा भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा अपने आवंटन आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का प्रथम आवंटन अपीलांट को तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट को दिनांक 07—03—2008 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के पश्चात्वर्ती आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या रेस्पोडेन्ट के आवंटन की दिनांक को आराजी जैर विशुद्व रूप से उपलब्ध है अथवा नहीं?

(4) हमने पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तत दस्तोवेजों से साबित है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी को रिमाण्ड करते हुए नियमानुसार आवंटन हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त प्रकरण आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है।

(5) ऐसी दशा में जब प्रकरण आवंटन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष आराजी जैर के डबल आवंटन की जॉच हेतु लम्बित होना साबित है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को

अदालत मातहत के समक्ष ही डबल आवंटन के प्रकरण के निपटारे हेतु चाराजोई करनी चाहिए थी। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा डबल आवंटन के प्रकरण में आज दिनांक तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, व प्रकरण आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष विचारधीन होना साबित है। जब तक अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन डबल आवंटन के प्रकरण पर कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक न्यायालय हाजा इस अपील में किसी प्रकार का आदेश देना समीचीन नहीं समझते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों आवंटनों की जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर